

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल दिनांक 21 अगस्त 2017

क्रमांक //1950/ /आउशि/शाखा-2/2017:: कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-1-9/2017/38-1/1892/शाखा-2/17 दिनांक 09 अगस्त, 2017 में जारी निर्देशों के परिपालन में अतिथि विद्वानों की आमंत्रण प्रक्रिया 2017-18 के कैलेण्डर में एतद द्वारा आंशित संशोधन करते हुए दिनांक 22 अगस्त, 2017 से 23 अगस्त, 2017 तक कुल दो दिवस के लिए अतिथि विद्वानों के प्राप्त आवेदनों में संशोधन के लिए पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध है। सर्व संबंधित आवेदक इन दिवसों में अनिवार्य रूप से अपने स्तर से संपादित समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। दिनांक 23 अगस्त, 2017 के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। दिनांक 24 अगस्त से 2017 से 25 अगस्त, 2017 तक आवेदकों से आपत्तियों प्राप्त करना शासकीय महाविद्यालयों के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जावे, शेष प्रक्रिया संशोधित कैलेण्डर अनुसार ही रहेगी।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया)

अपर संचालक प्रशासन
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

भोपाल दिनांक 21 अगस्त, 2017

पृ क्रमांक //1951/ /आउशि/शाखा-2/2017
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
4. समस्त अपर/अतिरिक्त/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुरा भवन, भोपाल।
म प्र
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

(डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया)

अपर संचालक प्रशासन
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन